

उत्तराखण्ड पेश करेगा 90,000 करोड़ का बजट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में 90,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मुख्य बंदि:

- राज्य विधानसभा में पेश किये जाने वाले संशोधन इस प्रकार हैं:
 - कैबिनेट ने **बाल शरम, नकली नोट और मानव तस्करी को गैंगस्टर एक्ट, 1986** के दायरे में शामिल करने का फैसला किया है।
 - जमरानी बांध और सोंग बांध परियोजना** को मंजूरी दे दी गई और उन नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बोरिंग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है जहाँ से पीने के पानी का उपयोग किया जा रहा है।
 - सभी 13 जिलों में छात्रों के लिये **मोबाइल लैब वैन** को मंजूरी।
 - केदारनाथ और बदरीनाथ में अस्पतालों के लिये उपकरण** खरीदने का प्रस्ताव।
- रयिल एस्टेट में दो संशोधनों को मंजूरी दी गई:
- आवास विभाग के तहत **वनियमन और विकास अधिनियम 2016** तथा **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) आवास परियोजनाओं** का निर्माण।
- शिक्षा विभाग के तहत कैबिनेट ने इन्हें भी दी मंजूरी:
- एक प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि किसी विश्वविद्यालय में **कुलपति (VC)** का पद खाली हो जाता है, तो छह महीने की अवधि के लिये दूसरे **विश्वविद्यालय के VC** को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है।
- शिक्षा विभाग में कला शिक्षकों के लिये बीएड अनिवार्य कर दिया गया है और संगीत शिक्षकों के लिये संगीत प्रभाकर डिग्री की अवधि पाँच से बढ़ाकर छह वर्ष कर दी गई है।